विशेष-12001/3/2023-वि_स_को-DOLRS

2170246/2023/वि_स_को-DoLRS

I/91823/2023 **दिनांक–16.11.2023 (गुरूवार) को निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण संचालित जिलो के कार्य प्रगति की जूम के माध्यम से की गई साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।**

---

दिनांक 16.11.2023 (गुरूवार) को निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप एवं जिलों के नोडल पदाधिकारी के साथ विशेष सर्वेक्षण संचालित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी, अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0) के साथ जिलो के कार्य प्रगति की समीक्षा की गई।

समीक्षोपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन एवं निदेश निम्नवत् है :–

1. बैठक में सर्वप्रथम जिलावार 2500 खेसरो से कम खेसरो वाले ग्रामों में अक्टूबर तृतीय सप्ताह एवं दिनांक–16.11.2023 तक के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य की समीक्षा की गई। जिलावार प्रक्रमवार स्थिति निम्नवत पाई गई–

| 2500 खेसरा तक राजस्व ग्रामों की जिलावार प्रगति | | | | | | | | | | | | | | | | 16-11-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL. NO. | District | Mauza | प्रारूप प्रकाशन | | खानापुरी | | प्रपत्र 6 इंट्री | | एल०पी०एम० लंबित | एल०पी०एम० वितरण के पश्चात् सुनवाई वाले राजस्व ग्राम | | त्रिसीमि के लिए लंबित राजस्व ग्राम | | Map Updation के लिए लंबित राजस्व ग्राम | |
| | | | अक्टूबर तृतीय सप्ताह | बैठक की तिथि तक | अक्टूबर तृतीय सप्ताह | बैठक की तिथि तक | अक्टूबर तृतीय सप्ताह | बैठक की तिथि तक | बैठक की तिथि तक | अक्टूबर तृतीय सप्ताह | बैठक की तिथि तक | अक्टूबर तृतीय सप्ताह | बैठक की तिथि तक | अक्टूबर तृतीय सप्ताह | बैठक की तिथि तक |
| | | | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ARARIA | 78 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ARWAL | 166 | 58 | 102 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 38 | 35 | 32 | 23 | 22 | 3 |
| 3 | BANKA | 169 | 119 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 11 | 19 | 4 | 3 |
| 4 | BEGUSARAI | 299 | 233 | 241 | 8 | 6 | 13 | 13 | 4 | 14 | 15 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 5 | JAMUI | 69 | 39 | 45 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 17 | 10 | 0 | 4 |
| 6 | JEHANABAD | 159 | 93 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 25 | 5 | 8 | 19 | 5 |
| 7 | KATIHAR | 116 | 78 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | 6 | 18 | 21 |
| 8 | KHAGARIA | 78 | 33 | 46 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 28 | 21 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 9 | KISHANGANJ | 284 | 67 | 70 | 70 | 25 | 61 | 58 | 80 | 51 | 49 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | LAKHISARAI | 243 | 138 | 162 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 48 | 37 | 33 | 37 | 1 | 2 |
| 11 | MADHEPURA | 61 | 44 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| 12 | MUNGER | 264 | 197 | 214 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 38 | 29 | 0 | 11 | 22 | 7 |
| 13 | NALANDA | 211 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PURNIA | 53 | 47 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 15 | SAHARSA | 42 | 26 | 28 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 16 | SHEIKHPURA | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SHEOHAR | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SITAMARHI | 90 | 49 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 14 | 2 | 4 | 3 | 11 |
| 19 | SUPAUL | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | W. CHAMPARAN | 153 | 121 | 131 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| Total:- | | 2800 | 1894 | 2012 | 272 | 193 | 104 | 89 | 101 | 363 | 270 | 118 | 134 | 119 | 67 |

2. जिलावार 2500 से 5000 तक खेसरो से कम खेसरो वाले ग्रामों में वर्तमान प्रगति कार्य की समीक्षा की गई। जिलावार प्रक्रमवार स्थिति निम्नवत पाई गई–

| 2500 से 5000 खेसरा तक विशेष सर्वेक्षण प्रक्रमवार राजस्व ग्रामों की स्थिति | | | | | | | | | | | | दिनांक- 16.11.2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र0 सं0 | जिला | कुल राजस्व ग्राम | प्रारूप प्रकाशन | खानापुरी | | | प्रपत्र . 6 इंट्री प्रक्रियाधीन ग्रामों की संख्या | एल0पी0एम0 | | सुनवाई | | अभ्युक्ति |
| | | | | वैसे राजस्व ग्राम जहां खानापुरी शुरू नहीं हुआ | खानापुरी कार्य चल रहा है। | खानापुरी पूर्ण परंतु प्रपत्र 6 इन्ट्री शुरू नहीं हुआ है। | | एल0पी0एम० लंबित | एल0पी0एम० वितरित | राजस्व ग्राम जहाँ सुनवाई चल रही है। | सुनवाई पूर्ण राजस्व ग्रामों की संख्या | |
| 1 | अररिया | 64 | 27 | 6 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | 5 | |
| 2 | अरवल | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 | 11 | 0 | 10 | 3 | |
| 3 | बांका | 57 | 6 | 0 | 28 | 2 | 7 | 3 | 0 | 6 | 5 | |
| 4 | बेगूसराय | 66 | 0 | 9 | 37 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | |
| 5 | जमुई | 30 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 6 | जहानाबाद | 56 | 1 | 0 | 12 | 4 | 24 | 2 | 0 | 12 | 1 | |
| 7 | कटिहार | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | 6 | |
| 8 | खगडिया | 45 | 0 | 0 | 23 | 0 | 14 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| 9 | किशनगंज | 98 | 0 | 61 | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | लखीसराय | 86 | 0 | 0 | 55 | 0 | 24 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| 11 | मधेपुरा | 18 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 12 | मुंगेर | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 6 | 0 | |
| 13 | नालंदा | 102 | 27 | 2 | 27 | 4 | 19 | 2 | 0 | 10 | 11 | |
| 14 | पूर्णियाँ | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | सहरसा | 44 | 0 | 8 | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | |
| 16 | शेखपुरा | 64 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 17 | शिवहर | 29 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
| 18 | सीतामढी | 106 | 0 | 34 | 17 | 12 | 20 | 0 | 0 | 22 | 1 | |
| 19 | सुपौल | 64 | 27 | 6 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | 5 | |
| 20 | प0 चम्पारण | 63 | 3 | 4 | 16 | 5 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
| **कुल** | | **1136** | **149** | **130** | **322** | **49** | **225** | **58** | **11** | **146** | **61** | |

समीक्षात्मक बैठक में विगत एक सप्ताह में कुछ जिलों को छोड़कर शेष जिलों में सुनवाई प्रक्रम के प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया। जिलावार प्रगति की समीक्षा उपरांत जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं समीक्षोपरांत दिये गये निदेश निम्नवत् है:—

(i) अररिया के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 2500 तक खेसरों तक वाले 78 राजस्व ग्रामों में 72 का प्रारूप प्रकाशन हो गया है एवं एक ग्राम को छोड़कर शेष सभी का प्रारूप प्रकाशन एक सप्ताह के अंदर हो जाएगा।

निदेशित किया गया कि 2500 खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों में प्रारूप प्रकाशन के बाद के कार्यों में तेजी लाई जाए एवं 2500 से अधिक खेसरों वाले राजस्व ग्रामों में यथाशीघ्र खानापुरी का कार्य समाप्त किया जाए।

(ii) अरवल और बांका की समीक्षा में पाया गया कि अरवल जिले में मात्र विगत एक सप्ताह में मात्र 06 राजस्व ग्रामों का प्रपत्र—12 प्रकाशित किया गया है एवं अभी भी 62 राजस्व ग्रामों का प्रपत्र—12 प्रकाशित किया जाना शेष है। बांका जिले में भी मात्र 02 राजस्व ग्रामों की प्रगति पाई गई। अरवल जिले में समीक्षा में पाया गया कि सुनवाई वाले प्रक्रम में राजस्व ग्रामों की संख्या में कमी नहीं आ रही है एवं सुनवाई की प्रगति संतोषजनक नहीं है। बांका जिले के द्वारा बताया गया कि कानूनगो की कमी होने के कारण सुनवाई की गति प्रभावित हो रही है एवं अमीनों द्वारा विभिन्न प्रक्रमों यथा—खानापुरी, प्रपत्र—6 की प्रविष्टि, सुनवाई इत्यादि के कार्यों में एक साथ संलग्न होने के कारण लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं हो पा रही है। अरवल के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा एक शिविर प्रभारी का पदस्थापन अरवल में किये जाने का अनुरोध किया गया है।

निदेशित किया गया कि सुनवाई प्रक्रम का कार्य संपादित करने के लिए भू—अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय स्तर से जो मार्गदर्शन निर्गत किये गये है, उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यह भी निदेशित किया गया कि शिविरों में कार्यरत अमीनों के कार्य दिवस का विभाजन विभिन्न प्रक्रमों कार्यों के अनुरूप करते हुए प्रत्येक प्रक्रम के कार्य में समानुपातिक रूप से प्रगति लाना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) बेगूसराय एवं जमुई की समीक्षा में पाया गया कि बेगूसराय जिला अन्तर्गत प्रपत्र—6 की प्रविष्टि का कार्य काफी धीमी गति से हो रहा है, जबकि दो राजस्व ग्रामों में काफी दिनों से प्रपत्र—6 की इंट्री का कार्य किया जा रहा है। बेगूसराय में पाया गया कि प्रपत्र—6 की प्रविष्टि एक सप्ताह में अधिकतम 200 एवं औसतन 70—75 से अधिक नहीं है।

निदेशित किया गया कि प्रपत्र—6 की प्रविष्टि एवं सुनवाई के कार्यों में तेजी लाई जाय एवं जमुई के विश्रांति प्रक्रम में लंबित 10 राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाए।

(iv) जहानाबाद एवं कटिहार की समीक्षा में पाया गया कि जहानाबाद में विगत एक सप्ताह में मात्र 04 एवं कटिहार में मात्र 03 राजस्व ग्रामों का प्रारूप प्रकाशन किया गया है। जहानाबाद में 10 एवं कटिहार में 08 राजस्व ग्राम विश्रांति प्रक्रम में लंबित पाया गया। कटिहार द्वारा बताया गया कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के स्तर से मानचित्र में सुधार नहीं किये जाने के कारण प्रगति में बाधित हो रही है।

निदेशित किया गया कि सुनवाई के कार्य में तेजी लाई जाए एवं हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को निदेशित किया गया कि मैप अपडेशन में जो भी ग्राम लंबित है, उन्हें यथाशीघ्र शिविरों को उपलब्ध कराया जाय। साथ ही निदेशालय स्तर से हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, आई0आई0सी0 से कारण–पृच्छा करने का निदेश दिया जाए।

(v) खगड़िया एवं किशनगंज की समीक्षा में खगड़िया द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जिन राजस्व ग्रामों में खतियान उपलब्ध नहीं है, वहाँ रैयतों से प्राप्त दावा–आपत्ति के निष्पादन में कठिनाई हो रही है। किशनगंज में पाया गया कि विगत एक सप्ताह में प्रपत्र–6 की प्रविष्टि में 16 तथा खानापुरी प्रक्रम में 18 राजस्व ग्रामों की प्रगति हुई हैं किशनगंज में पाया गया कि एल0पी0एम0 का वितरण नहीं किया गया है।

समीक्षा में बैठक की तिथि में प्रपत्र–6 की प्रविष्टि का ऑनलाईन अवलोकन किया गया, जिसमें पाया गया कि दो राजस्व ग्रामों में मात्र 10 इंट्री की गई है। निदेशित किया गया कि जिला स्तर पर प्रतिदिन प्रपत्र–6 प्रविष्टि की प्रगति देखने की सुविधा संधारित किए जाने के बावजूद जिला स्तर पर प्रपत्र–6 के प्रविष्टि की समीक्षा नहीं किया जाना खेदजनक है। किशनगंज को निदेशित किया गया कि यदि एल0पी0एम0 वितरण बाधा है तो अविलंब खानापुरी पर्चा बांटकर अविलम्ब सुनवाई का कार्य प्रारंभ किया जाए।

(vi) लखीसराय की समीक्षा में पाया गया कि प्रपत्र–6 की डाटा इन्ट्री का कार्य अन्यन्त्र धीमी गति से हो रहा है, इस क्रम में बैठक के दौरान लखीसराय के ग्राम पंचौता थाना संख्या–116 में 27.09.2023 को मात्र 01 इन्ट्री की गई है, इसी प्रकार अनेक ग्रामों में एक दिन में 10 से कम प्रविष्टि की गई है।

निदेशित किया गया कि बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) लखीसराय द्वारा विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के प्रक्रमवार कार्यो का अनुश्रवण सही ढंग से नहीं किए जाने के कारण प्रपत्र–6 की प्रविष्टि का कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है साथ ही 2500 खेसरा तक वाले कुल 243 राजस्व ग्रामों में अब तक 162 राजस्व ग्रामों का ही प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन किया गया है, जबकि शिवहर, सुपौल, शेखपुरा, पूर्णिया जैसे जिलों द्वारा 2500 खेसरों तक वाले सभी ग्रामों का प्रारूप अभिलेख प्रकाशित कर 2500 से अधिक खेसरों वाले राजस्व ग्रामो में प्रारूप अधिकार तैयार किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि लखीसराय के बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) से कारण पृच्छा की जाए।

(vii) मधेपुरा, मुंगेर पूर्णियाँ, सहरसा, सीतामढ़ी एवं पश्चिम चम्पारण की समीक्षा में स्पष्ट हुआ है कि निरन्तर निदेशों के बावजूद विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में 2500 खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन लंबित है एवं वर्तमान प्रगति को देखते हुए आगामी एक पक्ष में इसका पूर्ण होना संभव नहीं लग रहा है।

निदेशित किया गया कि 2500 खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित करने के लिए जिलास्तर से प्रतिदिन प्रक्रमवार कार्यो का अनुश्रवण किया जाए एवं प्रत्येक दशा में 31 दिसंबर, 2023 तक 2500 खेसरों वाले

राजस्व ग्रामों में प्रारूप अभिलेख का प्रकाशन सुनिश्चित किया जाए एवं मार्च–2024 के पूर्व प्रथम चरण अन्तर्गत सभी राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का प्रकाशन सुनिश्चित किया जाए।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

**Signed by Jai Singh**
**Date: 28-11-2023 14:10:33**
**निदेशक**
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना

1. **प्रतिलिपि** : समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज/बन्दोबस्त पदाधिकारी, अररिया/अरवल/बांका/बेगूसराय/जमुई/जहानाबाद/कटिहार/खगड़िया/लखीसराय/मधेपुरा/मुंगेर/नालंदा/पूर्णिया/सहरसा/शेखपुरा/शिवहर/सीतामढ़ी/सुपौल/प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. **प्रतिलिपिः** सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0), किशनगंज/अररिया/अरवल/बांका/बेगूसराय/जमुई/जहानाबाद/कटिहार/खगड़िया/लखीसराय/मधेपुरा/मुंगेर/नालंदा/पूर्णिया/सहरसा/शेखपुरा/शिवहर/सीतामढ़ी/सुपौल/प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. **प्रतिलिपि** : हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, ARAHAS Technology Pvt. Ltd. (Indo Enviro Integrated Solu on Limited (IL&FS)), GISC, IIC को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. **प्रतिलिपि** : प्रशाखा पदाधिकारी/संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, आई0टी0 सेल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. **प्रतिलिपि** : सुश्री सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. **प्रतिलिपि** : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
7. **प्रतिलिपि** : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।